न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गंगासिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही		1 सरदारसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही 2 कानसिंह पुत्र धरमसिंह जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही 3 बाबू पुत्र टीलाजी जाति नाई निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा के का0मु0 3.1 पेपी पत्नी बाबू 3.2 लक्ष्मण पुत्र बाबु जाति नाई निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा 4 राधा पत्नी मोहनलाल जाति सीरवी निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा 5 सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 4.5.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 27/2013 सरदारसिंह बनाम गंगासिंह में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन किए बिना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.2013 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त होना अंकित है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बाबूलाल फौत होने पर उसके वारिशान के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया। बाबूलाल के वारिशान द्वारा समस्त भूमि राधादेवी को बेचान कर दी, उसके नाम नामान्तरकरण भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो बाबूलाल के वारिशान को पक्षकार संयोजित किया तथा न ही राधादेवी को पक्षकार संयोजित किया। जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की भूमि दो भागों में विभक्त हो जायेगी तथा अपीलाण्ट को आर्थिक हानि होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरदारसिंह व कानसिंह की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 267 की भूमि अपीलाण्ट की तथा खसरा नम्बर 276 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की आई हुई स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बतौर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मृत्यु हो गई तथा उसके का0मु0 द्वारा भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में कर दिया। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी, जिसे पक्षकार संयोजित ही नहीं किया। अब अपील में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पक्षकार संयोजित किया है। अधीनस्थ न्यायालय खसरा नम्बर 267 की माठ से रास्ता दिया है, जिसकी मुआवजा राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जमा करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2014 को आदेश पारित किया है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 07.01.2015 को अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील निर्णय की दिनांक 11.12.2014 को धारा 91 का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी होना जाहिर किया है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु दिनांक 03.12.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 09.12.2014 को प्राप्त हो चुकी थी। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर देरी को कण्डोन कराने का अनुतोष चाहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान ही फौत हो चुका था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 22 नियम 4 दौराने वाद प्रतिवादी फौत होने पर लागू होता है, जहां वाद दायर होने से पूर्व ही प्रतिवादी फौत हो जाता है, वहां उक्त आदेश एवं नियम लागू नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के आवागमन हेतु सुविधाजनक मार्ग खसरा नम्बर 276 की उत्तरी माठ से होकर दिया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 267 की भूमि में से रास्ता प्रदान किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा फुलाबाई खेडा के खसरा नम्बर 268 रकबा 9.09 बीघा भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी भूमि क्रमशः खसरा नम्बर 267 रकबा 20.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 276 रकबा 2.07 बीघा भूमि में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा तहसीलदार पिण्डवाडा से मौका जांच रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार पिण्डावाडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं आवेदक की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होना जाहिर करते हुए खसरा नम्बर 267 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है।

अब द्वितीय तथ्य यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार योग्य है अथवा नहीं ? अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 11.12.2014 को होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 11.07.2013 को अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थिति प्रस्तुत की है तथा जैर अपील आदेश के दिवस भी अपीलाण्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे, जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश से होती है, जिसमें पक्षकारान् के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 11.12.2014 को हुई हो, यह तथ्य समर्थन योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार योग्य नहीं पाई जाती है।

अब तृतीय तथ्य यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जब अपील प्रस्तुत की, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 फौत हो चुका था तथा फौत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1932 Sind 220 ist 1932 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 22 - Applicability - Suit or appeal must be pending. Order 22 applies to joinder of legal reprentatives of a person who is properly on the record and dies pending the suit or appeal as the case may be, but not the case where person is dead long before suit or appeal" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1946 Sind 20 पेज 1945 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 1 R 10 O. 22 Rr 4, 9 - defendant dead before filling suit - Court cannot grant application under O. 1 R. 10 or O. 22. Rr. 4 and 9" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1964 MYSURE पेज 293 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), S. 151, O. 22 R. 4, O. 6 R. 17 - Suit against dead person - No amendment for substitution of another person will be allowed - Suit is a nullity" इसी प्रकार के सिद्धान्त ए0आई0आर0 1964 पेज 215, ए0आई0आर0 1989 पेज 43, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 189, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 873 में प्रतिपादित किए गए है। उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है, क्योंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

हस्तगत प्रकरण में अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 फौत हो चुका था। इस प्रकार स्वीकृत रूप से अपील मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत करने से अपीलाण्ट की अपील खारिज योग्य पाया जाता है।

हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 27/2013 सरदारसिंह बनाम गंगासिंह में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही